

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: Regarding submission of Response/Reply in compliance of the order passed by Hon'ble N.G.T. dated 11.09.2023 in OA no. 418/2023 In the matter of Nirmal Kumar Tripathi Vs. State of UP.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble N.G.T. dated 11.09.2023 in OA no. 418/2023 In the matter of Nirmal Kumar Tripathi Vs. State of UP. The Response/Reply is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,


(Akhand Pratap Singh)
District Magistrate
Deoria

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. Secretary Environment Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.


District Magistrate
Deoria

Response on behalf of Respondent No.-5, District Magistrate, Deoria in compliance to the order dated 11.09.2023 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 418 of 2023 In the matter of Nirmal Kumar Tripathi Versus State of U.P. & Others

The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 11.09.2023 in Original Application No. 418 of 2023 in the matter of Nirmal Kumar Tripathi Versus State of U.P. & Ors. has passed the directions. The operative part of the order is as below:-

".....

2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Secretary, Environment, Government of Uttar Pradesh, (2) Executive Officer, Municipal Council, Deoria, (3) Executive Engineer, PWD, Deoria (4) DFO, Deoria, (5) District Magistrate, Deoria and (6) UPPCB who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 6-UPPCB O.A. No. 418/2023 Nirmal Kumar Tripathi Vs. State of U.P. & Ors. is already appearing before this Tribunal through its Counsel. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 5.
3. Reply/response by respondents no. 1 to 6 be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 22.11.2023.
5. In view of the facts and circumstance of the case, we consider presence of Executive Engineer, PWD, Deoria, Executive Officer, Municipal Council Deoria, DFO, Deoria and District Magistrate, Deoria through VC to be essential for producing the relevant documents and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are accordingly directed to remain present before this Tribunal on that date.

Response

1. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 11.09.2023 in Original Application No. 418 of 2023 In matter of Nirmal Kumar Tripathi Versus State of U.P. & Ors. has seek a factual report from a joint Committee regarding the construction of Pucca Nala in Nagar Palika Municipal area of District Deoria.



In compliance to the above direction the inspection of alleged construction site was carried out by joint committee on 26.08.2023 in present of the complainer Sri Nirmal Kumar Tripathi, comprising following officials:-

1. Sri Gaurav Srivastav, A.D.M.(E), Deoria.
2. Sri Anil Kumar Sharma, Regional Officer, U.P.P.C.B., Gorakhpur.

Joint Committee Report has been already submitted to ceo-6, U.P.P.C.B, Lucknow by the UPPCB, Gorakhpur on 28.08.2023 vide letter no. 522/Sa-332/2023 which is filed on 29.08.2023 to Hon'ble Tribunal, New Delhi by e-mail. A copy of the Joint Committee Report is being attached herewith as **Annexure No.-1**.

2. In compliance to the order dated 11.09.2023 passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 418/2023, a letter has been issued to respondent no. 1 to 4 and 6 along with copy of the order dated 11.09.2023 for submission of response and ensure to remain their presence on hearing dated 22.11.2023 in Hon'ble N.G.T. Copy of letter enclosed as **annexure no. 2**

The above response of the District Magistrate, Deoria is placed before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

(Akhand Pratap Singh)
District Magistrate
Deoria



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

31

संदर्भ संख्या : 522 / स्मार्क-332 / 2023

दिनांक : 28-8-23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक माह में संयुक्त जाँच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संयुक्त जाँच दिनांक 26.08.2023 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देवरिया एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में मुख्यालय स्तर से जाँच कर आख्या मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में दाखिल कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय


(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
ML

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. विधि अधिकारी प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।


क्षेत्रीय अधिकारी
ML

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई 2023 के अनुपालन में संयुक्त जॉच आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2023 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

... . . . 2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look in to the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

उक्त पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में संयुक्त जॉच हेतु जिलाधिकारी महोदय देवरिया द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच 98816/सी-6/सा0-788/ओ0ए0 नं0 418/2023 दिनांक 03.08.2023 द्वारा अनिल कुमार शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर को नामित किया गया। पत्र अभिलेख की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

शिकायती स्थल की संयुक्त जाँच दिनांक 26.08.2023 को उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ता श्री रामकोमल चौधरी एवं श्री अनिल कुमार गौड़ तथा शिकायतकर्ता श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में किया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

- 1- शिकायती स्थल जनपद-देवरिया के नगरीय क्षेत्र कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक निर्माणाधीन नाले के संदर्भ में है, जिसका अक्षांश 26.500503 N एवं देशांतर- 83.743628 E से अक्षांश 26.494135 N एवं देशांतर- 83.762333 E तक पाया गया।
- 2- प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उक्त नाले का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सेक्टर के सिवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया, देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण हेतु क्षेत्र में जल भराव की समस्या की निदान हेतु जल निकासी हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के पत्रांक संख्या 143/2021/8251/नौ-5-2021-61बजट/2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के पक्ष में प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृति के उपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम देवरिया (नगरीय) इकाई द्वारा किया जा रहा है। आवंटन पत्र की कापी संलग्न है। (संलग्नक-2)
- 3- उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) देवरिया द्वारा प्राप्त आवंटन/आदेश के अनुक्रम में जनपद-देवरिया में कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ होते हुए हनुमान मन्दिर तक एस0बी0आई0 बैंक से रामनाथ देवरिया होते हुए शहीद गेट, परिजात स्टेशनरी से समृद्धि लान होते हुए कचहरी तक, पुलिस लाईन दुर्गा मन्दिर से मेन रोड तक, निरीक्षण भवन पी0डब्लू0डी0 से मेन रोड तक, मेडिकल कालेज के अन्तिम छोर से मेन रोड तक कुल लम्बाई 8.575 कि0मी0, निर्माण किया जाना स्वीकृत है, जिसमें कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक 2200 मीटर तथा पुलिस लाईन दुर्गा मन्दिर से मेन रोड तक 650 मीटर एवं मेडिकल कालेज के अन्तिम गेट से मेन रोड तक 350 मीटर (कुल लम्बाई 3200 मीटर) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शिकायती स्थल पर उक्त नाले का निर्माण कार्य दिनांक 07 जनवरी, 2022 से प्रारम्भ किया गया है। शेष कार्य किया जाना बाकी है।




4- उक्त नाला खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को सड़क मार्ग के विपरीत, नाले की दूसरी तरफ तथा कहीं-कहीं सड़क की तरफ भी रखा गया है, जिसका प्रयोग नालों के दोनो साईड के खुदान की गैप को भराव हेतु प्रयोग में लाया गया है। सम्बन्धित सड़क मार्ग पर मिट्टी भराव से बची हुई मिट्टी कहीं-कहीं रखी पायी गयी है, जो वर्षा के कारण परिवहन मार्ग पर बिखरी हुई है। निरीक्षण के समय वर्षा का मौसम होने के कारण सड़क से धूल का उत्सर्जन होता नहीं पाया गया, परन्तु वर्षा सीजन बन्द होने तथा जल छिड़काव न किये जाने पर मार्ग पर परिवहन से धूल का उत्सर्जन होना स्वभाविक है। स्थल के लिए फोटोग्राफ संलग्न है।

5- नाला निर्माण स्थल पर पूर्व से स्थापित वृक्ष/पेड़ जो कि नाला प्रवाह मार्ग में आ रहे थे, जिसकी संख्या 58 अवगत कराई गयी है, को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया के पत्रांक 1111/7-3 देवरिया दिनांक 05 नवम्बर, 2022 द्वारा निर्गत पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त कर वन निगम गोरखपुर द्वारा काटा गया है तथा वन विभाग के शर्तों के अनुसार काटे गये वृक्षों के समानुपात में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा दिये गये प्राक्कलन के अनुसार देय धनराशि रू0 10,47,340.00 का भुगतान वन विभाग को किया गया है, जिसका प्रयोग 580 पौधों को लगाने एवं उसकी रख रखाव मद में आने वाले खर्च के अनुरूप वन विभाग द्वारा किया जायेगा। वृक्ष कटान हेतु प्राप्त अनुमति तथा प्राप्त प्राक्कलन की प्रति की छाया प्रति संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

6- निरीक्षण के समय वर्षा का मौसम होने के कारण नाला निर्माण का कार्य नहीं होता पाया गया। उपस्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण अवधि में नियमानुसार नाला खुदाई एवं निर्माण हेतु लागू नियमों के अनुसार नाला निर्माण क्षेत्र में बैरिकेटिंग, ग्रीन नेट एवं जल छिड़काव का कार्य किया जाता रहा है, जिससे दुर्घटना एवं धूल उत्सर्जन का नियंत्रण हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ संलग्न है।




7- निरीक्षण के समय वर्षा सीजन होने के कारण धूल उत्सर्जन की समस्या विद्यमान नहीं पायी गयी। निर्माण स्थल के सड़क मार्ग के किनारे निस्तारित मिट्टी को हटाने के लिए उपस्थित जल निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है। स्थल के अद्यतन फोटोग्राफ संलग्न है। संलग्नक-4

8- निरीक्षण के समय उपस्थित शिकायतकर्ता श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण अवधि में नाला निर्माण के समानान्तर चल रही सड़क मार्ग पर जगह-जगह मिट्टी निस्तारित की गयी थी, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है परन्तु निर्माण अवधि में वाहनों के आवागमन से धूल उत्सर्जन उत्पन्न हो रहा था, तथा काटे गये वृक्षों की संख्या प्राप्त लाईसेंस से अधिक है। परन्तु इसका कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जल निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कटान किये जाने वाले वृक्षों की संख्या का निरीक्षण एवं निर्धारण स्वयं वन विभाग एवं जल निगम की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है अतः शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त नाला निर्माण का कार्य नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित में नियोजित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा उपरोक्त वर्णित आवंटन के आधार पर किया जा रहा है। अतः कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) देवरिया को पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन सुनिश्चित रखते हुए शेष नाला का निर्माण का कार्य किया जाना जनहित में होगा।

अतः आख्या में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


26/08/2023
(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।


26.08.23
(गौरव श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया।